पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 174/2024 दिनांक- 01.06.2024

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- पवई

किशोरी को अगवा करने का आरोपी बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 31.05.24 को वादिनी मुकदमा थाना पवई जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 31.05.24 को समय करीब 08.00 बजे सुबह वादिनी की लड़की ज्योति उम्र 17 वर्ष को एक बालअपचारी द्वारा शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौराने अभियुक्त की उम्र करीब 17 वर्ष पायी गयी जो बालअपचारी की श्रेणी मे आता है।

पुलिस अभिरक्षा का विवरण- आज दिनांक 01.06.2024 को उ0नि0 अमित कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बालअपचारी को मिल्कीपुर अण्डर पास के पास से समय 08.30 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया बाल अपचारी का चालान मा0 न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 197/2024 धारा 363/366 भादवि, थाना पवई, आजमगढ़।

बालअपचारी का विवरणः- बाल अपचारी

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 197/2024 धारा 363/366 भादवि थाना पवई, आजमगढ़।

पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली टीम –

1.उ0नि0 अमित कुमार मिश्रा मय हमराह थाना पवई आजमगढ़।

थाना- कोतवाली

अवैध गांजा व गांजा विक्री के 2600 रूपया के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 31.5.24 को उ0नि0 देवेन्द्रनाथ दूबे, उ0नि0 राजनरायन पाण्डेय द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम कोडर अजमतपुर से अभियुक्त राजकुमार सिंह पुत्र स्व0 शिवदत्त सिंह निवासी हाफिजपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 45 को समय 21.05 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से 1.3 किलोग्राम नजायाज गांजा व गांजा विक्री का 2600 रूपया बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-राजकुमार सिंह पुत्र स्व0 शिवदत्त सिंह निवासी हाफिजपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 45

बरामदगी का विवरणः-

1.3 किलोग्राम नजायाज गांजा

1- गांजा विक्री का 2600 रूपया बरामद

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 334/24 धारा 8/ 20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

उ0नि0 देवेन्द्रनाथ दूबे चौकी प्रभारी बलरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ़

उ0नि0 राजनरायन पाण्डेय चौकी प्रभारी बदरका थाना कोतवाली आजमगढ़

थाना- रौनापार

हत्या के प्रयास में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

वादिनी इन्तलेश पुत्री रामहंस पटेल ग्राम रसुलपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ ने थाना रौनापार पर लिखित तहरीर दिया कि पैत्रिक जमीन के विवाद को लेकर प्रतिवादी रामहंस पटेल द्वारा खुद की पुत्री इन्तलेश पटेल को जान से मारने की नियत से चाकू से हमला करना जिससे वादिनी के कन्धे के नीचे बाँए हाथ पर गम्भीर चोट आने व तथा जिसमे छोटी बहन ममता का मुख्य भूमिका होने के सम्बन्ध में थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 232/24 धारा 307/120बी भादवि बनाम 1.रामहंस पटेल पुत्र अज्ञात 2. ममता पटेल पुत्री रामहंस पटेल निवासीगण ग्राम रसूलपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

उ0नि0 उमाशंकर मय हमराह द्वारा आज दिनांक 01.06.24 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धितअभियुक्त रामहंस पुत्र स्व0रामजस उर्फ जस सा0 रसुलपुर नौकापुरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 65 वर्ष को समय 08.00 बजे अभियुक्त उपरोक्त के घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 232/24 धारा 307/120बी भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-रामहंस पुत्र स्व0रामजस उर्फ जस सा0 रसुलपुर नौकापुरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 65 वर्ष

बरामदगी-

1-घटना में प्रयुक्त एक चाकू बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 उमाशंकर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 शैलेन्द्र यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना-रौनापार

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक 18.05.24 को वादिनी/पीड़िता थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि 04 वर्ष पूर्व से वादिनी के साथ आरोपी अभिषेक राजभर द्वारा शादी का झांसा देकर लागातार शारिरीक सम्बन्ध बनाना शादी करने के लिये कहने पर आरोपी व आरोपी की माँ किरन द्वारा गाली गलौज व धमकी देकर भगा दिया गया, के सम्बन्ध में थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 204/2024 धारा 376/504/506 भादवि बनाम 1.अभिषेक राजभर पुत्र भीम राजभर, 2.किरन राजभर पत्नी भीम राजभर साकिनान डीहवा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 164 सीआरपीसी से मुकदमा उपरोक्त मे अभियुक्त के मामा ,नाम पता अज्ञात का नाम प्रकाश मे आया है।

गिरफ्तारी का विवरण –

थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य मय हमराह द्वारा आज दिनांक 01.06.24 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अभिषेक राजभर पुत्र भीमराज राजभर ग्राम डीह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ हाल मुकाम ग्राम जोकहरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को ग्राम काखभार बाजार से समय करीब 06.45 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 204/2024 धारा 376/504/506 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 204/2024 धारा 376/504/506 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1-अभिषेक राजभर पुत्र भीमराज राजभर ग्राम डीह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ हाल मुकाम ग्राम जोकहरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
2. का0 अवधेश यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
3. का0सखावत अली थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
4. म0का0 प्रज्ञा यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट

गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत जिलाबदर हुए 06 अपराधी

जनपद में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा अपराध नियंत्रण में चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत गोवध व आपराधिक में सक्रिय अपराधियों पर गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट महोदय आजमगढ़ द्वारा 06 अपराधियों को दिनांक- 29.05.2024 से 06 माह के लिए जिलाबदर किया गया है। थाना गम्भीरपुर से 02 तथा थाना देवगांव, अहरौला, निजामाबाद व तरवां से 01-01 अपराधी जिलाबदर किये गये है।

जिलाबदर हुए 06 अपराधियों का विवरण निम्नवत है-

1. सलमान अहमद पुत्र रियाज अहमद निवासी कलन्दरपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ (गोवध)
2. सर्फूद्दीन उर्फ सर्फू डफाली पुत्र कमरूद्दीन निवासी कलन्दरपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ (गोवध)
3. नेहाल उर्फ मुल्लू पुत्र निसार निवासी देवगांव थाना देवगांव आजमगढ़ (गोवध)
4. सलमान उर्फ मन्नी पुत्र मोसीन उर्फ मोहसिन निवासी मौजा मेहियापार थाना अहरौला आजमगढ़ (गोवध)
5. अभिषेक उर्फ विकास पाण्डेय पुत्र शिव प्रकाश उर्फ पप्पू पाण्डेय निवासी मौजा जमीन कटघर थाना निजामाबाद आजमगढ (आपराधिक)
6. राणा यादव पुत्र कुलदीप यादव निवासी जियापुर थाना तरवां आजमगढ़ (आपराधिक)

प्रेस-विज्ञप्ति

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 01 अभियुक्त को 05 वर्ष 01 माह 04 दिन एवं 01 अभियुक्त को 01 माह 09 दिन कारावास की सजा एवं 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना फूलपुरः 01 अभियुक्त को 05 वर्ष 01 माह व 04 दिन व 01 अभियुक्त को 01 माह 09 दिन कारावास की सजा एवं 10-10 हजार रूपये का जुर्माना

➡ दिनांक-27.03.2017 को वादिनी मुकदमा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना फूलपुर पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी 1. विक्की पुत्र रामशब्द 2. रामअजोर पुत्र ढोडई निवासीगण गोवरहा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर मारपीट व दुष्कर्म किया गया था, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-104/2017 धारा 452, 506, 376 भादवि व 3/ पाक्सो एक्ट 4बनाम आदि 02 नफर पंजीकृत किया गया था।

➡ उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡मुकदमा उपरोक्त में कुल 10 गवाह परिक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में आज दिनांक- 01.06.2024 को मा0 न्यायालय (स्पेशल पाक्सों कोर्ट) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में धारा 452 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त विक्की पुत्र रामशब्द निवासी गोवरहा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को 05 वर्ष 01 माह 04 दिन का कारावास व धारा 506 भादवि में अभियुक्त रामअजोर पुत्र ढोडई निवासी गोवरहा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को 01 माह 09 दिन के कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।